संख्या– /54–1–13/8(14)/2012

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी**
(जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, शामली व कासगंज को छोड़कर), उ0प्र0

2. **आयुक्त एवं प्रशासक,**
शारदा सहायक समादेश, लखनऊ।

3. **अध्यक्ष एवं प्रशासक,**
रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 23 जनवरी, 2013
(समादेश बन्धु)

विषय– **सेवा प्रदाता मेसर्स विब्योर इन्फो प्रा0लि0 द्वारा एसएलडीसी, डब्ल्यूसीडीसी तथा पी.आई.ए. स्तर पर कार्मिकों के मानदेय से सर्विस चार्ज शून्य दशमलव चार प्रतिशत (0.4 प्रतिशत) की कटौती किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया सेवा प्रदाता के चयन विषयक भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के शासनादेश संख्या 345/54–1–12/8(14)/2012 दिनांक 6 जुलाई, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत शासनादेश द्वारा आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के लिए प्रदेश स्तर पर गठित एसएलएनए के अधीन स्थापित एसएलडीसी, जनपद स्तर पर स्थापित डब्ल्यूसीडीसी तथा पीआईए स्तर पर कार्मिकों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सर्विस प्रोवाइडर के चयन के सम्बन्ध में मेसर्स विब्योर इन्फो प्रा0 लि0, सप्रू मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0 को निविदा के आधार पर पात्र पाये जाने एवं तत्सम्बन्धी अन्य निर्देश निर्गत किए गये थे।

2. उपरोक्त के क्रम में सेवा प्रदाता मेसर्स विब्योर इन्फो प्रा0 लि0, सप्रू मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0 तथा तत्कालीन विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0शासन के मध्य दिनांक 10.07.2012 को 28 बिन्दुओं का अनुबन्ध–पत्र, अनुबन्ध मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5317(एम/बी)/2012 में पारित निर्णय के अधीन, निष्पादित किया गया। ***प्रश्नगत अनुबन्ध–पत्र में, सेवा प्रदाता (मेसर्स विब्योर इन्फो प्रा0 लि0) द्वारा निविदा में प्रस्तावित एवं सक्षम स्तर पर अनुमोदित शून्य दशमलव चार प्रतिशत (0.4 प्रतिशत) सर्विस चार्ज की कटौती कार्मिकों के मानदेय से किए जाने के सम्बन्ध में, कोई उपबन्ध नहीं किया गया था, जिस हेतु पृथक से अनुपूरक अनुबन्ध निष्पादित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।***

3. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा प्रदाता मेसर्स विब्योर इन्फो प्रा0 लि0, सप्रू मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के मानदेय से उपरोक्तानुसार सर्विस चार्ज के रूप में शून्य दशमलव चार प्रतिशत (0.4 प्रतिशत) धनराशि की ही कटौती की जाएगी। तद्नुसार समस्त उप निदेशकों/भूमि संरक्षण अधिकारियों को अपने स्तर से यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि प्रत्येक स्तर पर सेवा प्रदाता द्वारा